

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 36]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 20 जनवरी 2022—पौष 30, शक 1943

कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल

राजभवन, भोपाल, दिनांक 20 जनवरी 2022

संशोधित अधिसूचना

क्र. 53-1-रा.स.-यू.ए.-5-2016-116.—इस सचिवालय की अधिसूचना क्रमांक एफ-53-1-रा.स.-यू.ए.-5-2016-1320, दिनांक 24 दिसम्बर 2021 के द्वारा नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 22(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय कुलाधिपति जी ने उक्त अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (2) के खण्ड (छः), (ख) एवं (ज) के अन्तर्गत क्रमशः मध्यप्रदेश विधान सभा एवं राज्य शासन द्वारा विश्वविद्यालय के प्रबंध बोर्ड में नामांकन किये गये थे. उक्त अधिसूचना में अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (2) के खण्ड (ज) में टंकण त्रुटि के सुधार हेतु यह संशोधित अधिसूचना प्रसारित कर लेख है कि डॉ. जितेन्द्र सिंह यादव के स्थान पर डॉ. जितेन्द्र सिंह जाटव पढ़ा जाए.

कुलाधिपति, नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर के आदेशानुसार,

मनोज खत्री, राज्यपाल के अपर सचिव.